# मगध प्रमंडल में निवास करने वाले अनुसूचित जाति समूह की लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का अभिमत

**सुनीता कुमारी**

**शोध छात्रा, शिक्षा विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया**

**डॉ० विवेकानन्द सिंह**

**एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मगधा विश्वविद्यालय, बोधगया**

## शोध सार

किसी भी देश के वास्तविक विकास का आंकलन वहां के निवासियों की साक्षरता के स्तर से लगाया जा सकता है। शिक्षा विकास का अत्यावश्यक अंग ही नहीं, वरन उसका सहयोगी साधन भी है। शिक्षा व्यक्ति के विकास में हर तरह से सहायक होती है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो गरीबी भी उसके विकास के मार्ग में आड़े नहीं आ सकती है। व्यक्ति की परिधि में पुरुष और महिला दोनों आते हैं। यदि इन समुचित दोनों में एक भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहा तो समुचित विकास हो ही नहीं सकता है। भारत की जनसंख्या का 48.58% भाग स्त्रियो का प्रतिनिधित्त्व करता है। भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार स्त्रियों की कुल जनसंख्या 58.65 मिलियन थी। किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं के उत्थान की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इस महिला कार्यक्रम में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है- महिला साक्षरता और शिक्षा और रोजगार । भारत एक विकासशील राष्ट्र है। दलित एवं अनुसूचित जाति समुदायों में जनसंख्या वृद्धि दर भी सर्वाधिक है। ऐसे समुदाय अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक चिन्तित नहीं है। यही कारण है कि बढ़ती जनसंख्या एवं दलित समुदायों में साक्षरता का अभाव 'सबके लिए शिक्षा' अथवा शिक्षा के सार्वजनीकरण (universalization of Education) के लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यधिक बाधा उत्पन्न कर रहे है 'अनुसूचित बस्तियों की लड़कियाँ अपने अभिभावको के काम पर चले जाने के कारण शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय नहीं जा पाती है। विशेष रूप से इन समुदायों की शिक्षित लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में सेवा के अवसर प्रदान करने चाहिये' दलित वर्ग या अनुसूचित समुदाय के बच्चों को नामांकन हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए इससे अधिक से अधिक दलित बालिकायें शिक्षित हो सकेगीं। अनुसूचित बस्तियों में रहने वाले दलित समुदाय के अभिभावकों की शैक्षिक व व्यावसायिक स्थिति संतोषजनक नहीं है इसके लिए शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत विशिष्ट मार्गदर्शन के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा सकती है।

**संकेत शब्द : मगध प्रमंडल, अनुसूचित जाति, अभिभावक, शैक्षिक स्तर, व्यवसायिक स्तर, अभिमत**

**Received : 2/10/2025 https://doi.org/10.5281/zenodo.18258942 Acceptance : 10/11/2025**

**परिचय:**

'मातृदेवो भव' (तैतिरीय उपनिषद) 6 वीं से 5 वीं शताब्दी ई0 पूर्व0 के अनुपम उद्घोष से अनुप्राणित हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का सदा से ही अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान रहा है और 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: (मनुस्मृपति) 200 ई0 पू0 से 200 ई0 कहकर मनु ने उसके गौरव को द्विगुणित कर दिया है। किसी भी देश के वास्तविक विकास का आंकलन वहां के निवासियों की साक्षरता के स्तर से लगाया जा सकता है। शिक्षा विकास का अत्यावश्यक अंग ही नहीं, वरन उसका सहयोगी साध न भी है। (गांधी नई तालीम, 1937) जी ने शिक्षा को बुद्धि के विकास तथा समाज के पुनर्गठन का आधारभूत साधान स्वीकार किया है। नेहरू जी (भारत की खोज, 1944) ने भी राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। वास्तव में साक्षरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की कुंजी है। चाहे हम आर्थिक विकास की बात करे, चाहे राजनीतिक एवं धार्मिक, शिक्षा सांस्कृतिक उत्थान को लें, साक्षरता के अभाव में सब बेकार हो जाता हैं।

शिक्षा व्यक्ति के विकास में हर तरह से सहायक होती है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो गरीबी भी उसके

विकास के मार्ग में आड़े नहीं आ सकती है। व्यक्ति की परिधि में पुरुष और महिला दोनों आते हैं। यदि इन समुचित दोनों में एक भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहा तो समुचित विकास हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति राष्ट्र के विकास के लिये संचार माध्यमों का भरपूर लाभ उठाने के लिये साक्षरता ही एक मात्र उपाय है। साक्षरता विचार, तर्क और विश्लेषण तथा स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य को बढ़ाती है। शिक्षा बालक को सुसंस्कृत एवं आदर्श नागरिक बनाने का श्रेष्ठ माध्यम है, शिक्षा से राष्ट्रीय एकता पनपती है। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिये आवश्यकतानुसार जनशक्ति का विकास होता है। साक्षरता किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है। यह एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके माध्यम से मानव समाज में चेतना जाग्रत कर उसकी कार्य-कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा व विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। फिर भी दोनों में विभेद किया जाता है। लड़के को जहाँ कुलदीपक, पारिवारिक समृद्धि, यश व प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता है. वहीं लड़की को परायी सम्पत्ति व दहेज आदि कारणों से बोझ व अभिशाप समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण महिलाओं में शिक्षा व साक्षरता का अभाव है। यद्यपि की वर्तमान शिक्षित समाज में महिलाओं के प्रति धारणा बदल रही है लेकिन इसकी गति धीमी है।

शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक शक्तियों का विकास भी संभव होता है। भारत की जनसंख्या का 48.58% भाग स्त्रियो का प्रतिनिधित्त्व करता है। स्त्रियों की कुल जनसंख्या 58.65 मिलियन थी (भारत की जनगणना, 2011) । किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं के उत्थान की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इस महिला कार्यक्रम में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है- महिला साक्षरता और शिक्षा। उसका कारण यह है कि जब हम एक महिला को साक्षर करते है, तब हम एक परिवार को साक्षरता से जोड देते है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत व बिहार की कुल सकल जनसंख्या क्रमशः 121 तथा 10.38 करोड़ थी। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग की कुल सकल जनसंख्या क्रमशः 20.14 करोड़ तथा 1.6 करोड़ थी जो कि कुल जनसंख्या का क्रमशः 16.33% तथा 15.7% साक्षरता दरों के सम्बन्ध में अध्ययन करने से विदित होता है कि भारत व बिहार साक्षरता का प्रतिशत भारत में 74. 4% (पुरूष 52.14% तथा महिला 65.46% ) बिहार में 61.08 (पुरूष 71.2% तथा महिला 51.50%) था।

शिक्षा एवं राष्ट्र के विकास के मध्य धनात्मक सह सम्बन्ध है। एक लम्बे समय तक महिलाओं का बहुतायात में अशिक्षित होने का प्रभाव देश के विकास पर नकारात्मक पड़ा है। वास्तव में आज भी 6 से 14 वर्ष आयु की 59. 6 बालिकाएं ही पाठशालाओं में जाती है। शेष या तो पाठशालाओं में जाती ही नहीं है या फिर पाठशालाओं में प्रवेश लेने के तीन-चार वर्षों बाद ही पाठशाला जाना बंद कर देती है। एक अध्ययन के अनुसार यदि गांवो में 100 बालिकाएं पहली कक्षा में है तो पांचवी कक्षा में 40,8 वीं में 18, 10वीं में 9 तथा 12वीं में मात्र एक ही रह जाती है। अनेक समाज शास्त्रीय अध्ययन बताते है कि लगभग 95 प्रतिशत बालिकाओं को 9 वर्ष तथा इससे भी कम आयु से श्रम साधय कार्यों में लगा दिया जाता है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि प्रगति की गति विशेषतः संविधान की अपेक्षाओं दृष्टिगत रखते हुए बहुत धीमी हो रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण एवम् प्रगति के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। अतः देश की सर्वांगीण प्रगति समस्त पिछड़े वर्गों को ऊँचा उठाने से ही सम्भव है।

उन्नयन सम्भव है शिक्षा के द्वारा ही इनमें आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास एवम् सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जा सकता है। पढ़ लिखकर वे ज्ञान-विज्ञान की गतिविधियों से परिचित हो सकते है तथा अन्याय और दमन के विरूद्ध संघर्ष करके भारतीय समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकते है। इसलिये संविधान में इस वर्ग के व्यक्तियों के विकास हेतु कुछ विशेष सुविधाओं, यथा - विभिन्न छात्रवृत्तियों, आर्थिक सहायता, आवास की व्यवस्था, पुस्तकीय लाभ, विशेष अध्यापन की व्यवस्था (कोचिंग व्यवस्था), विद्यालय वेशभूषा देने की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शिक्षा व्यवसाय आदि का प्रावधान है। परन्तु इन प्रावधानों के होते ये भी परिणाम सन्तोषजनक नहीं है, न ही वर्तमान में प्राप्त उपलब्धियाँ संविधान के निर्माताओं की उदात्त आशाओं के अनुरूप हैं।

स्पष्ट है कि अभी तक जो कुछ व्यवस्थायें अथवा प्रावध ान किये गये है उनसे ये वर्ग पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पा रहें हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का उपयोग, अनुसूचित जाति की समस्त जातियाँ पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही हैं।

वस्तुत: अनुसूचित व दलित वर्ग में सबसे कम लड़कियाँ विद्यालय जाती है। बिहार में अपव्यय व अवरोध न की समस्या बढ़ी है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार के संदर्भ शोध अध्ययन को किये जाने की आवश्यकता अनुभूत की गयी जिसमें अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उनके अभिभावकों के विचारों को जाना जाये। इसलिये शोधार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों के शैक्षिक स्तर, व्यावसायिक अवसर और इन लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध मे उनके अभिभावको की अभिवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभूत की गयी।

भारतीय समाज का वह विशिष्ट जाति समूह जो कि संविध ान अनुसार अनुसूचित अथवा दलित वर्ग के रूप चिन्हित किया गया है के परिवारों की लड़कियों का शैक्षिक स्तर क्या है? वे किन व्यावसायिक कार्यों में कार्यरत है ? दलित अथवा अनुसूचित जाति के अभिभावक अपनी लडकियों की शिक्षा के सम्बन्ध में क्या विचार रखते? मलिन बस्तियों में निवासित विशिष्ट जाति समुदाय के अभिभावकों का शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्तर क्या है? विशिष्ट जाति की समुदाय लड़कियों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक आकांक्षायें क्या है?

**समस्या कथन :**

'मगध प्रमंडल में निवास करने वाले अनुसूचित जाति समुदाय की लड़कियों का शैक्षिक, व्यवसायिक स्तर तथा उनकी शिक्षा के प्रति अभिभावकों के अभिमत का अध्ययन ।'

**समस्या कथन में आए शब्दों की कार्यात्मक परिभाषा :**

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा से अभिप्राय है- 'वह औपचारिक अथवा अनौपचारिक ज्ञान सम्बन्धी सूचनायें जो बालक अपनी बाल्यावस्था अर्थात 4 वर्ष की आयु से लेकर जीवन पर्यन्त किसी न किसी अभिकरण चाहे वह सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा व्यक्तिगत से, एक निश्चित पाठयक्रम का अध्ययन कर प्राप्त करते हैं।

**अभिमत से अभिप्राय है**- 'किसी वस्तु, व्यक्ति तथा परिस्थिति के प्रति व्यक्त किये गये विचार, राय या मत है।' अन्य शब्दों में किसी वस्तु की अच्छाईयाँ अथवा बुराईयाँ बताने के लिये उनमें कोई सुधार लाने के लिये व्यक्ति के मन में जो विचार अथवा विश्वास एवं कल्पनायें है, उन्हें व्यक्त करना ही अभिमत है ।

**व्यावसायिक स्तर**

प्रस्तुत शोधकार्य में व्यावसायिक स्तर से अभिप्राय उन अवसरों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। अन्य शब्दों में किसी भी समाज जाति अथवा समुदाय के पुरुष व महिला सदस्य किस स्तर के व्यवसाय में कार्यरत अथवा किस प्रकार का व्यवसाय अपने जीविकोपार्जन के लिये करना पसन्द करते है। अथवा अपनी लडकियों को किस प्रकार का व्यवसाय कराना चाहते है ।

**मगध प्रमंडल**

भारत के बिहार राज्य की एक प्रशासनिक एवं भौगोलिक इकाई है। मगध प्रमंडल का प्रशासनिक मुख्यालय गया है। वर्तमान में (2005), इस प्रभाग में गया जिला, नवादा जिला, औरंगाबाद जिला, जहानाबाद जिला और अरवल जिला शामिल है।

**अनुसूचित जाति**

अनुसूचित जाति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों का एक समूह है, जिन्हें सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए विशेष सुरक्षा, आरक्षण और संवैधाानिक अधिाकार प्राप्त हैं।

**अध्ययन के उद्देश्य**

1. अनुसूचित बस्तियों में निवासित अनुसूचित जाति समुदाय की लड़कियों के शैक्षिक स्तर का अध्ययन।
2. अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में निवासित अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों की लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभत का अध्ययन।
3. अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में निवासित अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों के शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्तर का अध्ययन
4. अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में निवासित अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों के शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्तर का अध्ययन

**परिकल्पनाएं :**

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं को निर्माण किया गया है।

$H_1$ अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों द्वारा लड़कियों को शिक्षित करने एवं न करने के प्रति व्यक्ति अभिमत में अन्तर होता है।

$H_2$ अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों की लड़कियों को शिक्षित करने सम्बन्धी अभिवृति में महत्त्वपूर्ण भिन्नता होती है।

$H_3$ अनुसूचित जाति समुदाय के उच्च शिक्षित अभिभावकों एवं निम्न शिक्षित अभिभावकों के अभिमत में अन्तर है।

$H_4$ अनुसूचित जाति समुदाय के विभिन्न आय स्तर वाले अभिभावकों के अभिमत में सार्थक अन्तर है।

**अध्ययन का परिसीमांकन**

(1) प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल मगध प्रमंडल तक ही सीमित रखा गया है।

(2) वर्तमान अध्ययन केवल अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों तक ही सीमित रखा गया अन्य जातियों जैये पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग आदि की लड़कियों को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(3) प्रस्तुत अध्ययन में केवल अनुसूचित जाति के माता-पिता की लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित अभिवृत्ति का अधययन किया गया है।

(4) प्रस्तुत अध्ययन में सभी धार्मो से सम्बन्धित अनुसूचित वर्ग के माता-पिता एवं उनकी लडकियों को ही अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

**अध्ययन की सार्थकता एवं महत्व :**

भारत एक विकासशील राष्ट्र है 'दलित एवं अनुसूचित जाति समुदायों में जनसंख्या वृद्धि दर भी सर्वाधिक है। ऐसे समुदाय अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक चिन्तित नहीं है। यही कारण है कि बढ़ती जनसंख्या एवं दलित समुदायों में साक्षरता का अभाव 'सबके लिये शिक्षा' अथवा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यधिक बाध ा उत्पन्न कर रहे है। अत: प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के अभिभावको की लड़कियों की शिक्षा के सन्दर्भ में अभिवृद्धि ज्ञात कर इनमें लड़कियों के साक्षरता में वृद्धि की जा सकती है, जो राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्यों का प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।

**संबंधित साहित्य की विवेचना**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्राइमरी माध्यमिक एवं कॉलेज स्तरीय छात्र-छात्राओं की विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में भारत के विभिन्न राज्यों में किये गये शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण भारत में कश्मीर से लेकर दक्षिणी राज्यों आसाम, सिक्किम से लेकर पंजाब, गुजरात तक प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण एवं अनुसूचित वर्ग के बालकों की शैक्षिक स्थिति एवं उनकी शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों आदि में अत्यधिक साम्यता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में लगभग सभी राज्यों ग्रामीण अंचल एवं अनुसूचित वर्ग की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति एवं उनकी शिक्षा में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों में भी समानता है। इन समुदाय के छात्र-छात्राओं की साक्षरता से सम्बन्धित उभयनिष्ठ समस्यायें यथा निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर, सामंजस्य समस्या, सामाजिक पूर्वाग्रह, परम्परायें, सामाजिक रूप से पिछड़ापन, निरक्षरता, गरीबी, अनुसूचित जाति के शिक्षकों का अभाव, विद्यालयों की दूरी पर स्थित होना, समुदाय का शिक्षा में योगदान न होना, अजागरूकता, अभिभावकों का नकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षा का समुचित माध्यम का अभाव, बाल-विवाह आदि हैं जिनके कारण विद्यार्थी विद्यालय से पलायन करते है। वे पाठशाला त्यागी बन जाते हैं यह ही उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बन जाता है।

अनुसूचित जाति की लड़कियों की अपनी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएँ भी रही है जिनके कारण उनकी साक्षरता के सन्दर्भ में प्रगति अर्जित नहीं हो पा रही है। जैसा कि विभिन्न शोध सर्वेक्षणों यथा- श्रीवास्तव (1979), भटाचार्य (1982), उपाध्याय (1983), नायर(1989) शर्मा (1993)श्रीवास्तव(2000), वर्मा (2001), विश्वकर्मा (2002) आदि अध्ययनो से स्पष्ट होता है।

दाण्डेकर (1955), सेपरे (1966), रियान्नेश एवं अन्य(1977), दत्त (1979), देवी (1983), शर्मा (1985), सुनेजा (1986), बोकिल (1987), सिंह (1988), प्रसाद (1988), पंडित (1989), यादव (1991), नायर और अन्य (1992), चौहान (2001-02), अग्रवाल (2001), के शोध अध्ययनों के परिणाम स्पष्ट करते है कि आर्थिक कारण ही बालिकाओं की शिक्षा में प्रमुख बाधक है।

बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृति एवं अभिमत के संदर्भ में पलिस्टर एवं विलसन (1970), कुमारी (1973), अग्रवाल (1980-81), वासुकी (1990). सिंह (1991), के अधययन स्पष्ट करते है कि आर्थिक कारण अभिभावकों के पक्षपाती व्यवहार के कारण ही

शिक्षा से वंचित हो जाती है।

फूलनश्री (1988), गौतम (1990), लक्काम्मा (1990), गंगावर (1991), मिश्रा (1991), काम्बली (1992), अम्बष्ट तथा रथ (1995) आदि ने बालिकाओं के शैक्षिक पिछडेपन का कारण आर्थिक, लिंगभेद, शैक्षिक समस्याओं को माना है जिनके कारण बालिकाये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। नायक (1965). चन्द्रशेखरन (1969), बोस (1970), नत्थूलाल (1971), चन्द्रशेखर (1971). राजगोपालन (1974), पिम्पले (1979), रामानाथन (1979), अबरोल (1988), अग्रवाल (2000), आदि ने भी आर्थिक समस्या को ही लड़कियों की अशिक्षा का कारण बताया।

शाह (1989), रामना (1989). दास (1990), बोरदोलाई (1990), मोयम्मा (1991), बिसवाल (1991), राठा एवं बेहरा (1991), सिंह (1993), सुजाता (1996), दुबे (1999) ने लड़कियों की अशिक्षा का कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को माना है। इससे स्पष्ट हुआ है कि लड़कियों के अभिभावकों का दृष्टिकोण उन्हें शिक्षा प्रदान किये जाने के संदर्भ में उपेक्षित रहा है जिनके कारण उनका अध्ययन सतत् नहीं चल पाता है। किन्तु उपर्युक्त सभी अध्ययन बहुत ही सीमित क्षेत्र में सम्पादित हुये है जो कि एक ही क्षेत्र के लघु न्यादर्श एवम् सीमित चरों पर आधारित थे। इन अध्ययनों के परिणाम दर्शाते है कि पैतृक शिक्षा का अभाव, गरीबी, निर्धनता आदि अभिभावकों के अभिमत को प्रभावित करते है। अत: प्रस्तुत अध्ययन द्वारा उनके व्यावहारिक स्तर, शैक्षिक स्तर में सुधार की आवश्यकता है ।

**शोध अंतराल**

इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकारी व गैर सरकारी साधनों से पिछड़े व अनुसूचित जाति वर्ग के विकास हेतु अथक प्रयास किये जा रहे है किन्तु खेद की बात है कि अभी तक यह वर्ग दयनीय जीवन व्यतीत कर रहा है इस दयनीय स्थिति के लिये केवल सरकार को दोष देना अनुचित है अपने निम्न स्तर के लिए यह वर्ग भी कुछ सीमा तक स्वयं ही उत्तरदायी है। अशिक्षा, अज्ञानहीनता तथा रूढ़िवादिता के कारण अनुसूचित वर्ग सरकार की ओर से प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाने में अंशत: समर्थ रहा है। जिसके फलस्वरूप आज भी इनका स्तर निम्न है। वास्तव में लडकियों की शिक्षा हेतु शैक्षिक मार्गदर्शन की अत्यन्त आवश्यकता होती है। यह कहना तो मनोवैज्ञानिक रूप से अनुचित होगा कि इन बच्चों का बौद्धिक स्तर निम्न होता है वास्तव में उनका पारिवारिक वातावरण, निम्न स्तर का होता है एवं उनके अभिभावकों का दृष्टिकोण इतना संकुचित होता है कि वे अपनी लड़कियों को पढ़ाने नहीं भेजते। और भेजते भी है तो तो वे इनमें से अधिकांश बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। मगध प्रमंडल में यह स्थिति और दयनीय है (भारत की जनगणना 2011)। अत: अशिक्षा को समूल नष्ट करने, एक उचित व्यापक शैक्षिक वातावरण निर्मित करने एवम् समाज के सभी वर्गो के सन्तुलित विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इनके बिना इक्कीसवीं सदी में देश का अपने पैरों पर खड़ा होना सम्भव नहीं है। मगध प्रमंडल में इस पर बहुत कम अनुसन्धान हुआ है। इसलिए अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्यंयन हेतु मगध प्रमंडल में निवास करने वाले अनुसूचित जाति समूह की लड़कियों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्तर तथा उनकी शिक्षा के प्रति अभिभावकों के अभिमत का अध्ययन करने का निर्णय लिया।

**शोध अध्ययन विधि :**

प्रस्तुत अध्ययन में चूँकि मगध प्रमंडल में रहने वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों का शैक्षिक, व्यवसायिक स्तर तथा उनकी शिक्षा हेतु अभिभावकों के अभिमत जानने का सुनिश्चित प्रयास किया गया है। अत: शोधा अध्ययन के इस सम्पूर्ण कलेवर को देखते हुए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का अनुप्रयोग किया गया। इस शोधा विधि के माधयम से जनसमुदाय के अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है।

**अध्ययन जनसंख्या :**

अध्ययन जनसंख्या से तात्पर्य अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वांछित निरीक्षणों से सम्बन्धित इकाईयों की कुल संख्या से है। वर्तमान अध्ययन के संदर्भ में अध्ययन की मूल जनसंख्या जिसमें से वांछित सूचनाएँ संकलित करनी है. वह है- बिहार राज्य के अन्तर्गत मगध प्रमंडल में अनुसूचित जाती समूह (चमार, दुसाध, भूइयाँ, मूसहर, रजवार, भोक्ता, पासी, बंतार, तुरी, धोबी, डोम) से सम्बन्धि त परिवार ।

**प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया :**

निर्धारित मूल जनसंख्या में से वांछित सूचनाओं के संकलन हेतु प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदर्श चयन हेतु निम्नं प्रक्रिया का अनुसरण किया गया। मगध प्रमंडल भारत के बिहार

राज्य की एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है। गया जिला मगध प्रमंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। वर्तमान (2005) में इस प्रभाग में 5 जिले है जो इस प्रकार है गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं अरवल।

गया सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। गया जिले में कुल 1029675 अनुसूचित जाति के लोग रहते है। दूसरे नं0 पर औरंगाबाद जिला है जिसमें अनुसूचित जातियाँ की संख्या 472766 है और नवादा जिला में अनुसूचित जातियाँ की संख्या 422766 है। शोधार्थी ने उद्देश्यपूर्ण तरीके से इन तीन सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाले जिलों का चयन किया है। प्रत्येक जिले से एक-एक अनुसूचित बाहुल्य प्रखंड का चयन किया गया और उनमें सर्वाधिक अनुसूचित वाले गाँवों की सूची तैयार की गयी प्रत्येक प्रखंड से 15 गाँवों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है।

**प्रयुक्त उपकरण :**

वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि में सम्बन्धित सूचनाओं को सकलित करने के सन्दर्भ में उपकरणों का प्रयोग किया जाता हैं । मुख्यत: निम्न

1. . जीवनवृत्त सूचना प्रपत्र ।
2. साक्षात्कार/अनुसूची।
3. अभिमत प्रश्नावली

**परीक्षणों का फलांकन**

किसी भी शोधकार्य से सम्बन्धित सूचनायें तभी सार्थक होती है जब ये परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत की जायें। क्योंकि किसी भी तथ्य को गुणात्मक रूप से समझने की अपेक्षा परिमाणात्मक रूप में समझना आसान होता है। अध्ययन से सम्बन्धित सभी उपकरणों के प्रशासन के पश्चात् शोधकर्ता ने उनसे प्राप्त सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुक्रियाओं क्रमश: 'हाँ' व 'नहीं' की आवृत्तियों को टैली चिन्हों के माध्यम से गणना की। शोधार्थी ने अभिमतावली के प्रत्येक 'हाँ' को फलांकन करते समय एक अंक दिया व 'नहीं' के लिये शून्य अंक प्रदान किया। इसी प्रकार जो अभिभावक अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्हें भी प्रत्येक 'हाँ' कथन पर एक अंक व नहीं पर शून्य अंक दिया गया। तत्पश्चात् प्राप्त अनुक्रियाओं को सारणीबद्ध किया गया एवं व्यक्त किये गये अभिमतों का प्रतिशत मान प्राप्त किया गया।

**संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय प्रविधियाँ :**

शोधार्थी द्वारा किया गया शोधकार्य गुणात्मक प्रकृति का है इस दृष्टि से शोध समस्या के मूल्यांकन हेतु अधिक जटिल सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग नहीं किया गया है सांख्यिकीय गणना हेतु शोधार्थी द्वारा केवल प्रतिशत का ही प्रयोग किया गया है। प्रतिशत मान की गणना हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया-

प्रतिशत = सकारात्मक या नकारात्मक अभिमतों की संख्या/कुल संख्या X 100

निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के रूप में काई वर्ग की मान की गणना की गई। काई वर्ग मान की गणना प्रमुखतया अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों द्वारा भक्त किये गये अभिमतों की तुलना एवं निहित अन्तर की सार्थकता को सुनिश्चित करने हेतु की गई। काई वर्ग मान की गणना हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया-

**आंकड़ो का विश्लेषण**

अनुसंधान में सामान्यत: दो सोपान होते है प्रथम प्रदत्तों का संग्रह तथा द्वितीय प्रदत्तों का विश्लेषण प्राप्त सामग्री अपने प्रारम्भिक रूप में बड़ी ही अस्पष्ट एवं जटिल होती है उसके विश्लेषण के पश्चात् ही उपलब्धियों के माधयम से निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है।

अत: प्रस्तुत अध्याय स्वनिर्मित त्रि-प्रश्नावलियाँ यथा- वैयक्तिक जानकारी प्रपत्र, साक्षात्कार अनुसूची तथा अभिमत मापनी के संदर्भ में संकलित प्रदत्तों एवं सूचनाओं का सावधानीपूर्वक गहन विश्लेषण किया गया। जिसकी प्रस्तुति इस अध्याय में सुविधा की दृष्टिकोण से तीन खण्डों में की गई है।

**खण्ड** -प्रथम में कुल चयनित (45) अनुसूचित बस्तियों में से अन्तिम रूप से चयनित 1100 परिवारों के अभिभावकों (माता-पिता) की जीवन वृत एवं बालिकाओं की शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्थिति का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**खण्ड** - द्वितीय में चयनित अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिमत का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

**खण्ड** - तृतीय में चयनित अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों का बालिकाओं की शिक्षा एवं व्यवसाय सम्बन्धी आकांक्षाओं, विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

**निष्कर्ष :**

शोधार्थी ने मगध प्रमंडल के अन्तार्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में निवास करने वाले अनुसूचित वर्ग के परिवारों में से शोधा के निमित चयनित प्रतिदर्श के 1100 परिवारों की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में विश्लेषण करना आवश्यक समझा। इस संदर्भ में उपकरण के रूप में प्रयुक्त वैयक्ति जानकारी प्रपत्र पर प्राप्त तथ्यपरक सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। प्राप्त परिणाम इस प्रकार है।

1. सम्पूर्ण चयनित प्रतिदर्श में सर्वाधिक औसत आय 8559/- रूपये प्रतिमाह पासवान समुदाय के परिवारों की है। सर्वाधिक न्यूनतम 2484/- रूपये प्रतिमाह मूसहर समुदाय के परिवारों की है। अधिकांश दलित समुदाय की पारिवारिक आय 6000/- प्रतिमाह से कम है। स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में निवासित आय अनुसूचित जाति के अभिभावकों की तुलना में दुसाधा एवं धोबी समुदाय के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बेहतर है। उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण (2022-23) से भी हो रही है।

2. अनुसूचित बाहुल्य बस्तियों में निवासित अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावकों में लड़कियों को शिक्षित करने सम्बन्धी धारणा में समान मत विभाजन हैं अनुसूचित बस्तियों में अनुसूचित समुदाय के केवल 53% अभिभावक ही अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहते है। इन अभिभावकों में भी 27% मातायें व 26% पिता अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहते है। जबकि 46.73% अभिभावक अपनी लड़कियों को शिक्षित करना नहीं चाहते है। यद्यपि अधिसंख्यक अभिभावक अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहते है, किन्तु तालिका, में दर्शाये गये काई वर्ग मान से स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के अभिभावकों के प्रतिशत में सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं हंल । अत: अध्ययन के संदर्भ में निर्मित परिकल्पना (H1) अनुसूचित बाहुल्य बस्तियों अनुसूचित समुदाय के अभिभावकों द्वारा लड़कियों को शिक्षित करने एवं शिक्षित न करने के प्रति व्यक्त अभिवृत्ति में अन्तर होता है' को सांख्यिकीय रूप से 0.5 विश्वास स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है। यह परिणाम संकेत करता है कि अनुसूचित समुदाय के अभिभावकों में लड़कियों को शिक्षित करने की धारणा में स्पष्ट मत विभाजन नहीं है।

3. अनुसूचित जाति समूह के अन्तर्गत ग्यारह जातियों अर्थात् चमार, दुसाध, भुईयाँ, मुसहर, रजवार, भोक्ता, पासी, बंतार, तुरी, धोबी, एवं डोम जातियाँ सम्मिलित हुई है। सर्वाधिक रूप से दुसाध जाति के अभिभावक (60. 73 प्रतिशत) अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहते है, तत्पश्चात् पासी जाति (59 प्रतिशत) के अभिभावक अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहते है। जबकि सर्वाधिक रूप से डोम (58 प्रतिशत) तत्पश्चात् बंतार, भोक्ता, तुरी, चमार (58.82 प्रतिशत) अभिभावक अपनी लड़कियों को शिक्षित करना नहीं चाहते हैं। तालिका में प्रस्तुत काई वर्ग मान से स्पष्ट है कि अनुसूचित समुदाय के विभिन्न वर्गो से सम्बन्धित अभिभावकों की लड़कियों की शिक्षा की धारणा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भिन्नता है क्योंकि प्राप्त काई वर्ग मान सांख्यिकी रूप से .01 स्तर पर सार्थक प्राप्त हुआ है। अत: परिकल्पना (H2) अनुसूचित जाति समुदाय के अभिभावक द्वारा लड़कियों को शिक्षित करने एवं शिक्षित न करने के प्रति व्यक्त अभिवृति में अन्तर होता है, .01 स्तर पर स्वीकार की जाती है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सभी अनुसूचित जाति अभिभावकों की लड़कियों को शिक्षित करने सम्बन्धी अभिवृति में महत्वपूर्ण भिन्नता है।

4. अनुसूचित जाति बस्तियों में निवास करने वाले अनुसूचित 'अनुसूचित जाति समुदायों के अभिभावकों की लड़कियों को साक्षर करने की धारणा सकारात्मक है। वे अपनी लड़कियों को शिक्षित तो कराना चाहते है, किन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण अपनी पुत्रियों को पढ़ाने हेतु भेजने में असमर्थ है, विशेषकर निम्न अनुसूचित समुदाय के अभिभावक।

5. अनुसूचित समुदाय के अभिभावक अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं तथा उनकी कुछ आकांक्षाएं भी है। उनकी व्यावसायिक आकांक्षायें निम्न अथवा मध्यम स्तर की है।

6. काई वर्ग का मान .01 स्तर पर 1 मुक्तांश के संदर्भ में सांख्यिकी रूप से सार्थक प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के अभिभावकों के अभिमत में 99: दशाओं में महत्वपूर्ण अन्तर है ।

प्राप्त परिणाम स्पष्ट कर रहे है कि शिक्षित व अशिक्षित अनुसूचित समुदाय के अभिभावकों की धारणा में महत्वपूर्ण अन्तर है। शिक्षित अभिभावकों की सोच है कि पढ़ी-लिखी लड़की परिवार का भरण-पोषण भलिभाँति कर सकती है जबकि लड़कियों को शिक्षित न करने वाले

अभिभावक की यह धारणा है कि यह आवश्यक नहीं है। अत: परिकल्पना (H3) अनुसूचित जाति समुदाय के उच्च शिक्षित अभिभावकों एवं निम्न शिक्षित अभिभावकों के अभिमत में अन्तर है, .01 स्तर पर स्वीकृत की जाती है'

7. जातिनुसार विश्लेषण से विदित होता है कि सर्वाधिक आय वाले दुसाध (71%)एवं धोबी (64%), समुदाय की लड़कियाँ व्यवसाय करना चाहते हैं। यह दोनों समुदाय शिक्षा व व्यवसाय के प्रति अधिक सजग हैं। तत्पश्चात् भोक्ताह (63%) मूसहर व रजवार (61%), चमार (59%), बंतार (53%) समुदाय की लड़कियां भी व्यवसाय करना चाहती हैं। अर्थात् इन सभी दलित समुदाय की लड़कियों की व्यवसाय करने के प्रति अभिमतों में पर्याप्त अन्तर पाया गया। अत: परिकल्पना (H4) अनुसूचित जाति समुदाय के विभिन्न आय स्तर वाले अभिभावकों के अभिमत में सार्थक अन्तर है, स्वीकृत की जाती है ।

**अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ**

प्राप्त शोध परिणामों एवं निष्कर्षो के आधार पर अनुसूचित बस्तियों में अनुसूचित दलित समुदायों के अभिभावकों की शिक्षा के प्रति निहित धारणा तथा इस वर्ग के बच्चों को विशेषकर बालिकाओं को साक्षर करने एवं 'सबके लिये शिक्षा' के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निम्न उपायों को अपनाया जा सकता है। प्रथमत: अनुसूचित 'बस्तियों में स्थापित विद्यालयों में अध्यापक का चयन भी उसी समुदाय से होना चाहिये। विशेष रूप से इन समुदायों की शिक्षित लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में सेवा के अवसर प्रदान करने चाहिए क्योंकि उसी समुदाय का अध्यापक उनकी समस्याओं उनके व्यवहार को भली-भांति समझ सकता है तथा वे अध्यापक ही दलित वर्ग या अनुसूचित समुदाय के बच्चों को अपने विद्यालय में नामांकन हेतु प्रोत्साहित भी करेंगे, इससे अधिक से अधिक दलित बालिकायें शिक्षित भी हो सकेगीं।

अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित बस्तियों में रहने वाले दलित समुदाय के अभिभावकों की शैक्षिक व व्यावसायिक स्थिति संतोषजनक नहीं है इसके लिये शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत विशिष्ट मार्गदर्शन के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा सकती है तथा इन अशिक्षित अभिभावकों के साथ सामूहिक निर्देशन की व्यवस्था की जा सकती है। अत: अशिक्षित माता-पिता को निर्देशन तथा परामर्श देना आवश्यक है कि बालिकाओं के शैक्षिक विकास के योगदान में उनकी भी महती भूमिका है।

अध्ययन परिणामों से स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित बस्तियों में निवासित विशिष्ट जाति समुदाय के लड़कियों की शिक्षा के प्रति अति दलित समुदाय विशेष रूप से डोम एवं मुसहर समुदाय के अभिभावकों की अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनसंचार साधानों का उपयोग, लोक कलाकारों का उपयोग, नुक्कड़ नाटक, लड़कियों की शिक्षा की महत्ता से सम्बन्धित नौटंकी आदि का आयोजन करना चाहिये जिससे अशिक्षित अभिभावकों को अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने की प्रेरणा व प्रोत्साहन मिले।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:**


1. पं. नेहरू, भारत की खोज, 1944
2. महात्मा गांधी, नई तालीम, 1937
3. विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, 1946
4. भारत की जनसंख्या रिर्पोट, 1946
5. भारत की जनगणना, 2011
6. अमर्त्य सेन, विकास एक स्वतन्त्रता के रूप में, 1999
7. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग , 1948
8. ठाकुर देवेन्द्र, ट्राइबन एजुकेशन, 1987
9. हरेकृष्ण रावत, समाजशास्त्र का विश्वकोष, 1998
10. कार्तर वी. गुड डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, 1969
11. कैथरीन सोस, काम्पैक्ट आक्सफोर्ड रेफरेन्स डिक्शनरी (2003)
12. आलपोर्ट, हैड बुक ऑफ सोशन साइकेलॉजी, 1972
13. फ्रीमेन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजीकल ट्रेनिंग, 1989
14. रावत समाजशास्त्र का विश्वकोष, 1998
15. डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, 1969
16. काम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड रिरेन्स , डिक्सनरी (2003)
17. आइजैक, आनपैल्ड एवं मेइली, मनोविज्ञान विश्वकोष
18. बोर्ज एवं गाल, एजुकेशनल रिसर्च: एन इट्रोडक्ल, 1963
19. गुड, बार एवं स्केटस, दि मेथोडोलॉजी, ऑफ एजुकेशनल रिसर्च (1941)
20. बुच एम. बी. ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन,1974-78,1978-83,1983-88
21. सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, NCERT, 1988-1992